This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 / 06 आश्विन, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग
(नि0–III)

अधिसूचना

शिमला–171002, 16 सितम्बर, 2021

संख्याः पी.ई.आर. (ए.पी.)–सी–ए (3)–4 / 2010–लूज़.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी.ई.आर. (ए.पी.)–सी–ए (3)–4 / 2010, तारीख

23 अक्तूबर, 2017 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चालक, वर्ग–III (अराजपत्रित) सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चालक, वर्ग–III (अराजपत्रित) सामान्य भर्ती और प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **उपाबंध–क का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चालक, वर्ग–III (अराजपत्रित), सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 के उपाबन्ध–क में :–

(क) स्तम्भ संख्याः 15 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–I में यथाविनिर्दिष्ट प्राचलों (पैरामीटरों) पर आधारित मूल्यांकन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले रूपविधान, सांचे (टैम्पलेट) और मार्गदर्शक सिद्धान्तों वाली 85 अंकों की चालन / कौशल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चालन / कौशल परीक्षा का संचालन करने वाली समिति की अध्यक्षता सम्बद्ध विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी / नामनिर्देशिती द्वारा की जाएगी और जिसमें सहायक अभियन्ता (हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग–यान्त्रिक विंग), हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के संकर्म प्रबन्धक / चालक अनुदेशक / फोरमैन और मोटर यान निरीक्षक में से कम से कम दो तकनीकी कार्मिक सर्वदा इसमें सम्मिलित होंगे।"।

(ख) स्तम्भ संख्याः 15–क (IV) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–I में यथाविनिर्दिष्ट प्राचलों (पैरामीटरों) पर आधारित मूल्यांकन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले रूपविधान, सांचे (टैम्पलेट) और मार्गदर्शक सिद्धान्तों वाली 85 अंकों की चालन / कौशल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चालन / कौशल परीक्षा का संचालन करने वाली समिति की अध्यक्षता सम्बद्ध विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी / नामनिर्देशिती द्वारा की जाएगी और जिसमें सहायक अभियन्ता (हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग–यान्त्रिक विंग), हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के संकर्म प्रबन्धक / चालक अनुदेशक / फोरमैन और मोटर यान निरीक्षक में से कम से कम दो तकनीकी कार्मिक सर्वदा इसमें सम्मिलित होंगे।"।

आदेश द्वारा,

प्रबोध सक्सेना
अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक)।

––––––––

परिशिष्ट–I

मूल्यांकन प्राचल (पैरामीटर): 15 अंक

(i)	भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के लिए अधिप्रतिनिधित्व। {शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.02 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50% अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे एक अंक अनुज्ञात किए जाएंगे (50x0-02=1)}	2 (दो)
(ii)	यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित	1 (एक)

(iii)	भूमिहीन कुटुम्ब / एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।	1 (एक)
(iv)	इस प्रभाव का गैर–नियोजन प्रमाण–पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी / अर्ध–सरकारी सेवा में नहीं है।	1 (एक)
(v)	एन एस एस (कम से कम एक वर्ष) / एन सी सी में प्रमाण–पत्र धारक / भारत स्काउट और गाइड / राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता।	1 (एक)
(vi)	बी. पी. एल. कुटुम्ब या ₹ 40,000/- से कम (समस्त स्त्रोतों से) या जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, वाले कुटुम्ब।	2 (दो)
(vii)	विधवा / तलाकशुदा / अकिंचन / एकल नारी	1 (एक)
(viii)	इकलौती पुत्री / अनाथ	1 (एक)
(ix)	सरकारी / अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए केवल एक अंक)।	5 (पांच)

————————

[Authoritative English text of this Department Notification No. Per (AP)-C-A (3)-4/2010-Loose dated 16-09-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT
(AP-III)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 16th September, 2021

No. Per (AP)-C-A (3)-4/2010-Loose.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Driver, Class-III (Non-Gazetted) Common Recruitment and Promotion Rules, 2017 notified *vide* this Department Notification No. Per(AP)-C-A(3)-4/2010 dated 23rd October, 2017, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Driver, Class-III (Non-Gazetted) Common Recruitment and Promotion (Amendment) Rules, 2021.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure-A of the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Driver, Class-III (Non-Gazetted) Common Recruitment and Promotion Rules, 2017:—

(a) For the existing provisions against Col. No. 15, the following shall be substituted, namely:—

“Selection for appointment to the post in the case of direct appointment shall be on the basis of driving/skill test of 85 marks format, template and guidelines to be notified by the State Government followed by evaluation based on the parameters as specified in Appendix-I attached to these rules. The Committee to conduct driving/skill test shall

be headed by a senior officer/nominee of the concerned department and invariably include atleast two technical personnel out of Assistant Engineer (HPPWD-Mechanical Wing), Works Manager/Driving Instructor/ Foreman of HRTC and Motor Vehicle Inspector."

(b) For existing provisions against column number-15-A(IV), the following shall be substituted, namely:—

"Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be on the basis of driving/skill test of 85 marks format, template and guidelines to be notified by the State Government followed by evaluation based on the parameters as specified in Appendix-I attached to these rules. The Committee to conduct driving/skill test shall be headed by a senior officer/nominee of the concerned department and invariably include atleast two technical personnel out of Assistant Engineer (HPPWD-Mechanical Wing), Works Manager/Driving Instructor/Foreman of HRTC and Motor Vehicle Inspector".

By order,

Sd/-
PRABODH SAXENA,
Addl. Chief Secretary (Personnel).

APPENDIX-I

Evaluation parameters: 15 marks

(i)	Weightage for the minimum educational qualification, prescribed in the Recruitment & Promotion Rules. {Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.02. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1 mark (50x0.02=1)}	2 (two)
(ii)	Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be.	1(one)
(iii)	Landless family/family having land less than 1 hectare to be certified by the concerned Revenue Authority.	1 (one)
(iv)	Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service.	1 (one)
(v)	NSS (alteast one year)/certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide/Medal Winner in National Level sports competitions.	1 (one)
(vi)	BPL family having annual income (from all sources) below ₹ 40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time.	2 (two)
(vii)	Widow/divorced/destitute/single woman	1 (one)
(viii)	Single daughter/orphan	1 (one)
(ix)	Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (1 marks only for each completed year)	5 (five)

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 25 सितम्बर, 2021

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)70 / 2019.——यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव हुल्ली, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में ठियोग–कोटखाई–हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु इस्तेमाल की गई भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा–19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–19 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता, (शिमला क्षेत्र) विन्टर फील्ड शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि0 प्र0) के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	रकवा (है0 में)
शिमला	कोटखाई	हुल्ली	68 / 1	0–02–82
			कित्ता 01	0–02–82

आदेश द्वारा,
हस्तारित / –
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

————————

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 27th September, 2021

No.Rev-B-A(3)-2/2015.—In continuation of this Department Notification No. Rev-B-A(3)2/2015 dated 13-07-2021, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that minimum 50% (Fifty Percent) marks each in Computer (Theory) and Computer (Practical) will be required to pass subject/paper No. 09.

By order,
Sd/-
(ONKAR SHARMA)
Principal Secretary (Revenue).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री राज कुमार पुत्र मान सिंह, निवासी गांव नवेही, परगना जून्ढ, उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थी श्री राज कुमार पुत्र मान सिंह निवासी गांव नवेही, परगना जून्ढ, उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत सेरी के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में राज कुमार सही व दुरुस्त दर्ज है। लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल सेरी के भू–इन्द्राज में राजो दर्ज है जो कि गलत दर्ज है इसलिए महाल सेरी के भू–राजस्व अभिलेख में आवेदक अपना नाम राजो की बजाये राज कुमार पुत्र मान सिंह दुरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 01–10–2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 02–09–2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री रमजान पुत्र चुहड़ू, निवासी गांव मलूर, परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) . .प्रार्थी

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थी श्री रमजान पुत्र चुहड़ू, निवासी गांव मलूर परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत गुवालू के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में रमजान दर्ज है। जोकि सही व दुरूस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल मलूर के भू–इन्द्राज में रमजान मुहम्मद दर्ज है जोकि

गलत दर्ज है इसलिए महाल मलूर के भू–राजस्व अभिलेख में आवेदक अपना नाम रमजान मुहम्मद के बजाये रमजान पुत्र चुहडू दुरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 01–10–2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 02–09–2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

———————

In the Court of Sub-Divisional Magistrate Dalhousie, District Chamba (H.P.)

Sh. Rakesh Kumar s/o Sh. Satish Kumar, r/o Village Kunna P.O. Balera, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public

Notice under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Sh. Rakesh Kumar s/o Sh. Satish Kumar, r/o Village Kunna, P.O. Balera, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of her date of birth of his daughter Namely (Arushi) *i.e.* 08-09-2017 for entry in the record of Gram Panchayat Jiyunta, Tehsil Dalhousie, thereof.

Hence, this Proclamation is issued to the General public, that if they have any objction/claim regarding the registration of date of birth in the Gram Panchayat Jiyunta. They may file their claim/objections on or before 03-10-2021 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Gram panchayat Jiyunta for registration.

Given today the 04th September, 2021 under my signature and seal of the court.

Seal. JAGAN THAKUR, HPAS,
Sub-Divisional Magistrate,
Dalhousie, District Chamba (H.P.).

———————

In the Court of Sub-Divisional Magistrate Dalhousie, District Chamba (H.P.)

Sonam Dolma w/o Sh. Nima Yojal of Village Nasheman Middle Bakrota Dalhousie, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public

Notice under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Sonam Dolma w/o Sh. Nima Yojal of Village Nasheman Middle Bakrota Dalhousie Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of date of death of her husband Namely (Nima Yojal) *i.e.* 10-11-2018 for entry in the record of Municipal Council Dalhousie, Tehsil Dalhousie, thereof.

Hence, this Proclamation is issued to the General public, that if they have any objction/claim regarding the registration of date of death in the Municipal Council Dalhousie. They may file their claim/objections on or before 03-10-2021 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Municipal Council Dalhousie for registration.

Given today the 04th September, 2021 under my signature and seal of the court.

Seal.

JAGAN THAKUR, HPAS,
Sub-Divisional Magistrate,
Dalhousie, District Chamba (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie, District Chamba (H. P.)

Jagdish Chand s/o Sh. Kesru resident of Village Kharnala, P.O. Tritha, Tehsil Dalhousie, District Chamba, H. P. . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.— Notice under Section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Jagdish Chand s/o Sh. Kesru resident of Village Kharnala, P.O. Tritha, Tehsil Dalhousie, District Chamba, H. P. has filed an application alongwith an affidavit regarding of date of registration of birth of his son namely Jaswant Thakur *i.e.* 05-02-2019 for entry in the record of Gram Panchayat, Tehsil Dalhousie, thereof.

Hence, this proclamation is issued to the general public that if they have any objection/claim regrading the registration of date of birth in the Gram Panchayat Jiyunta. They may file their claim/objections on or before 3rd October of 2021 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Gram Panchayat Jiyunta for registration

Given today the 4th September, 2021 under my signature and seal of the court.

Seal.

JAGAN THAKUR,
Sub-Divisional Magistrate,
Dalhousie, District Chamba (H. P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)

1. Rahul s/o Sh. Dalip Singh, r/o Ward No. 5, V.P.O. Rakh, Tehsil & District Chamba, H. P.

2. Seema Devi d/o Sh. Man Singh, r/o Ward No. 4, Village Brehi, P.O. Gehra, Thesil & Distt. Chamba, H.P.

Versus

General Public

Subject.— Notice regarding Registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Whereas the above named applicants have made an application before the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage laws (Amendment Act, 01, 49 of 2001) alongwith an affidavit and other relevant documents stating therein that they have soleminized their marriage on 05-07-2021 at their place of residence and they are living togther as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Now, therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding the registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 06-10-2021 after that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on this 6th day of September, 2021.

Sd/-

Seal. (NAVEEN TANWAR), IAS,

Sub-Divisional Magistrate,

Dalhousie, District Chamba (H. P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्री तेजो राम सुपुत्र श्री बैन्तो राम, निवासी गांव बनोई, डाकघर भराड़ी, उप–तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम तेजो राम है, जोकि ग्राम पंचायत गडाना के नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग मुहाल फोगला में गलती से तेजो दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 07–10–2021 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 04–09–2021 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्री श्रवण कुमार सुपुत्र श्री रूप चन्द, निवासी गांव कुन्तला, डाकघर भराड़ी, उप–तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम श्रवण कुमार है, जोकि ग्राम पंचायत गडाना के नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल कुन्तला में गलती से श्रवण दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 07–10–2021 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 04–09–2021 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्री अमरो सुपुत्र श्री पालो राम, निवासी गांव खड़ीखड, डाकघर तुनुहट्टी, उप–तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम अमरो है, जोकि ग्राम पंचायत तुनुहट्टी के नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल डिब्बरखोला में गलती से अमर सिंह दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 07–10–2021 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 04–09–2021 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

नम्बर मुकद्दमा : 19 / 2021 तारीख रजुआ 17–08–2021

श्री बालक राम पुत्र छज्जु राम, निवासी गांव काफनू, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

बनाम

सरकार हिमाचल प्रदेश / आम जनता

दरख्वास्त जेर दफा 37 भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 पिता का नाम राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती हेतु

इश्तहार बनाम आम जनता।

प्रार्थी बालक राम पुत्र छज्जु राम, निवासी काफनू, तहसील निचार ने अदालत हजा में दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पिता का सही नाम छज्जु राम है परन्तु राजस्व अभिलेख में छोटू राम दर्ज हुआ है।

अतः इस इश्तहार की रूह से आम जनता व सभी हित–बद्व व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि छोटू राम के स्थान पर राजस्व अभिलेख उप–मोहाल काफनू, यंगपा, होमते व हुरी तहसील निचार में छज्जु राम इन्द्राज करने बारे किसी भी प्रकार का उजर–एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 03–10–2021 को वरवक्त 10 बजे अदालत हजा में अपना उजर–एतराज पेश करे। उपरोक्त तारीख के बाद किसी भी प्रकार का उजर–एतराज ना कावले समायत होगा व उपरोक्त छोटू राम का नाम दुरुस्त करके छज्जु राम इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 06–09–2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार)
स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

In the Court of Sh. Surender Thakur (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)

Sh. Mukesh Kumar s/o Sh. Subhash Chand Resident of Village Majhach, P.O. Burua, Tehsil Manali Kullu H.P. (India) and Mrs. Mamta Chandrasen Chauhan d/o Sh. Chandrasen Chauhan, r/o B-9 Krishna Kutir, Anand Nagar Pandit Din Dayal Road, Dombivli West, Kalyan, Vishnunagar, Thane, Kalyan, Maharashtra-421202 (presently wife of Sh. Mukesh Kumar), Resident of Village Majhach, P.O. Burua Manali, District Kullu, H.P. (India).

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Sh. Mukesh Kumar s/o Sh. Subhash Chand, Resident of Village Majhach, P.O. Burua, Tehsil Manali, Kullu, H.P. (India) and Mrs. Mamta Chandrasen Chauhan d/o Sh. Chandrasen Chauhan, r/o B-9 Krishna Kutir, Anand Nagar Pandit Din Dayal Road, Dombivli West, Kalyan, Vishnunagar, Thane, Kalyan, Maharashtra-421202 (presently wife of Sh. Mukesh Kumar), Resident of Village Majhach, P.O. Burua, Manali, District Kullu, H.P. (India) has presented an application on 31-08-2021 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 01-10-2021 at Manali to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court 31st day of August 2021.

Seal. Sd/-

Special Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu, H.P.

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Manoj Kumar Malhotra s/o Late Sh. Tej Singh, r/o H.No. 386/5 Beas View, Sain Mohalla, Mandi Town, District Mandi, H.P.

2. Mahindra Malhotra d/o Late Sh. Shiv Ram, r/o Jail Road Mandi Town, District Mandi, H.P. . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Manoj Kumar Malhotra s/o Late Sh. Tej Singh, r/o H.No. 386/5 Beas View, Sain Mohalla, Mandi Town, District Mandi, H.P. and Mahindra Malhotra d/o Late Sh. Shiv Ram, r/o Jail Road Mandi Town, District Mandi, H.P. (at present wife of Manoj Kumar Malhotra s/o Late Teg Singh, r/o H.No. 386/5 Beas View, Sain Mohalla Mandi Town, District Mandi, H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 24-04-1975 according to Hindu rites and customs at Guru Govind Gurdwara Paddal Mandi H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 01-10-2021 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 02nd day of September, 2021 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Bhupender s/o Sh. Chhape Ram, V.P.O. Segli, Sub-Tehsil Kataula, District Mandi, H.P.

2. Bhuvneshwari d/o Sh. Om Prakesh, Vill. Bhime Dhar, P.O. & Sub-Tehsil Kataula, District Mandi, H.P. . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Bhupender s/o Sh. Chhape Ram, V.P.O. Segli, Sub-Tehsil Kataula, District Mandi, H.P. and Bhuvneshwari d/o Sh. Om Prakesh, Vill. Bhime Dhar, P.O. & Sub-Tehsil Kataula, District Mandi H.P. (at present wife of Bhupender s/o Sh. Chhape Ram, V.P.O. Segli, Sub-Tehsil Kataula, District Mandi, H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 08-05-2021 according to Hindu rites and customs at their respective home Mandi, Distt. Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this

court on or before 01-10-2021 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 02nd day of September, 2021 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi, H. P.

In the matter of :

1. Jayant Dixit s/o Late Promil Kumar Dixit, r/o H. No. 237/2 Purani Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.

2. Annie Mahindru d/o Sh. Tarun Mahindru, r/o H. No. 189/1, Jawahar Nagar, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Jayant Dixitr s/o Late Promil Kumar Dixit, r/o H. No. 237/2 Purani Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. and Annie Mahindru d/o Sh. Tarun Mahindru, r/o H. No. 189/1 Jawahar Nagar, Tehsil Sadar, District Mandi H.P. (at present wife of Jayant Dixitr s/o Late Promil Kumar Dixit, r/o H. No. 237/2 Purani Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 12-11-2020 according to Hindu rites and customs at Hotel Park View, Bijani Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 01-10-2021 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 2nd day of September, 2021 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).

ब अदालत श्रीमति प्रेम सरीता, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्मा नं0 : 10 / 2021 तारीख दायर : 18–08–2021

श्री मोहर सिंह पुत्र गंगा राम, निवासी रामपुर बुशैहर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता / खतौनी नं0 1357 / 33, रकबा तादादी 00–55–63 है0, महाल रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री मोहर सिंह पुत्र गंगा राम, निवासी रामपुर बुशैहर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि आधार कार्ड व नकल जमाबन्दी महाल कस्बा बाजार रामपुर द्वितीय में प्रार्थी के पिता व दादा का नाम गंगा राम पुत्र टशी डन्डूप सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता / खतौनी नं0 1357 / 33, रकबा तादादी 00–55–63 है0, महाल रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना मालिक में टशी डन्डूप पुत्र गंगा राम दर्शाया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थी के पिता व दादा का सही नाम गंगा राम पुत्र टशी डन्डूप है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने छायाप्रति आधार कार्ड व नकल जमाबन्दी संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपने पिता व दादा का नाम उक्त माल कागजात में टशी डन्डूप पुत्र गंगा राम के स्थान पर गंगा राम पुत्र टशी डन्डूप दुरुस्त / दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में गंगा राम पुत्र टशी डन्डूप दुरुस्त / दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 04–10–2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 04–09–2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्मा संख्या : 20 / 2021 तारीख मरजुआ : 13–08–2021 तारीख पेशी : 27–10–2021

श्री ऋषि गर्ग व रीता गर्ग, निवासी पटेंगली मशोबरा, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0) ...प्रार्थी।

बनाम

1. श्री टेक चन्द पुत्र रूपा, निवासी मशोबरा, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
2. श्री सुरेन्द्र चन्द पुत्र श्री रूपा, निवासी मशोबरा, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
3. श्री त्रिलोक चन्द पुत्र श्री रूपा, निवासी मशोबरा, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
4. श्री कृष्ण चन्द पुत्र रूपा, निवासी मशोबरा, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
5. श्री रोशन लाल पुत्र रूपा, निवासी मशोबरा, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
6. श्री ओंकार चन्द पुत्र रूपा, निवासी मशोबरा, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
7. श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार, निवासी मशोबरा, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
8. श्रीमति अनुराधा पुत्री स्व0 श्री विनोद कुमार, निवासी मशोबरा, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
9. श्रीमति अम्बिका पुत्री स्व0 श्री विनोद कुमार, निवासी मशोबरा, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
10. श्रीमति आरती पुत्री स्व0 श्री विनोद कुमार, निवासी मशोबरा, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
11. श्रीमति उलेश रानी पत्नी स्व0 श्री विनोद कुमार, निवासी मशोबरा, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0

प्रतिवादीगण

प्रार्थना–पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू–विभाजन हेतु इश्तहार दैनिक समाचार पत्र / राजपत्र

यह कि श्री ऋषि गर्ग व रीता गर्ग, निवासी पटेंगली मशोबरा, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू–विभाजन हेतु अराजी खाता / खतौनी नं0 131 / 151, 132 / 152 खसरा नं0 467, 493, 494, 495 रकबा 2–20 है0, वाका चक महाल मशोबरा बाजार, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादी नं0 1 से 11 तक की तामील बार–बार समन जारी करने के बाद भी तामील न हो पा रही है। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगणों से तामील साधारण तरीके से संभव न है।

अतः अदालत हजा को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगणों की तामील साधारण तरीके से होना संभव न है। अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उक्त प्रतिवादीगणों में से किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 27–10–2021 को अपराह्न 02.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर में आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18–09–2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0 प्र0।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 11 / 2021 तारीख मरजुआ : 14–01–2021 तारीख पेशी : 22–10–2021

श्री बलराज सिंह पुत्र श्री टेक चन्द, निवासी ठाकुर निवास लोअर आंजी विकासनगर, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

1. श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री सानिया, निवासी गनूटी, डाकघर कसुम्पटी, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
2. श्री मोहन लाल पुत्र श्री देवी सरन, निवासी गनूटी, डाकघर कसुम्पटी, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0

3. श्रीमती प्रोमिला पुत्री श्री देवी सरन, निवासी गनूटी, डाकघर कसुम्पटी, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
4. श्रीमती सुनीता पुत्री श्री देवी सरन, निवासी गनूटी, डाकघर कसुम्पटी, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
5. श्रीमती लच्छी विधवा श्री देवी सरन, निवासी गनूटी, डाकघर कसुम्पटी, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
6. श्री मोहन लाल पुत्र श्री शिव राम, निवासी गनूटी, डाकघर कसुम्पटी, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
7. श्री जय सिंह पुत्र श्री शिव राम, निवासी गनूटी, डाकघर कसुम्पटी, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
8. श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री शिव राम, निवासी गनूटी, डाकघर कसुम्पटी, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
9. श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी गनूटी, डाकघर कसुम्पटी, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0।
10. श्री महेन्द्र पाल पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी गनूटी, डाकघर कसुम्पटी, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0।
11. श्री विनोद पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी गनूटी, डाकघर कसुम्पटी, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
12. श्रीमती नखरू विधवा श्री चेत राम, निवासी गनूटी, डाकघर कसुम्पटी, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0

..प्रतिवादीगण।

प्रार्थना–पत्र बरायें जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू–विभाजन हेतु इश्तहार दैनिक समाचार पत्र / राजपत्र

यह कि श्री बलराज सिंह पुत्र श्री टेक चन्द, निवासी ठाकुर निवास लोअर आंजी, विकासनगर, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू–विभाजन हेतु अराजी खाता /खतौनी नं0 3/8, खसरा नं0 107, 108, रकबा 00–12–33 है0, वाका चक महाल गनूटी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादी नं0 1, 5 के जायज वारसानों व प्रतिवादी नं0 12 के निवास स्थान बारे कोई जानकारी उपलब्ध न हो पाने के कारण बार–बार समन जारी करने के बाद भी तामील न हो पा रही है। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगणों से तामील साधारण तरीके से संभव न है।

अतः अदालत हजा को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगणों के जायज वारसानो / स्थाई निवास न उपलब्ध हो पाने के कारण तामील साधारण तरीके से होना संभव न है। अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उक्त प्रतिवादीगणों में से किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 22–10–2021 को अपराह्न 02.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर में आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14–09–2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0 प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 58 / 2020 तारीख मरजुआ : 18–12–2020 तारीख पेशी : 22–10–2021

श्री खुशाल चन्द पुत्र श्री सुरत राम, निवासी न्यू वर्मा बिल्डिंग फ्लैट नं0 4 देव नगर शिमला, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0)। ..प्रार्थी।

बनाम

1. श्री रमेश कुमार पुत्र श्री बंसी राम, निवासी सांगटी संजौली, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0

2. श्री खुशी राम पुत्र श्री बुद्धि राम, निवासी सांगटी संजौली, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
3. श्री रमोहन सिंह पुत्र श्री बुद्धि राम, निवासी सांगटी संजौली, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
4. श्री राजेन्द्र पुत्र श्री रेनू राम, निवासी सांगटी संजौली, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
5. श्री मुरली लाल पुत्र श्री शोभा राम, निवासी सांगटी संजौली, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
6. श्री सालिग राम पुत्र श्री सोहनू, निवासी सांगटी संजौली, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
7. श्रीमती सुन्दरू पुत्री श्री तुलसी निवासी संगटी संजौली, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
8. श्री अनंत राम पुत्र श्री गुडू राम, निवासी सांगटी संजौली, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
9. श्री नारेन्द्र सिंह पुत्र श्री योगेन्द्र सिंह, निवासी सांगटी संजौली, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
10. श्री जय राम पुत्र श्री देवकू, निवासी सांगटी संजौली, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
11. श्रीमती पदमा पत्नी स्व0 श्री अनंत राम, निवासी सांगटी संजौली, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
12. श्रीमती हेमलता पुत्री श्री जय राम, निवासी सांगटी संजौली, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
13. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री फिन्दर, निवासी सांगटी संजौली, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
14. श्री ध्रुव सिंह पुत्र श्री तुम्बा राम, निवासी सांगटी संजौली, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
15. श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री काली राम, निवासी सांगटी संजौली, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0

प्रतिवादीगण।

प्रार्थना–पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू–विभाजन हेतु इश्तहार दैनिक समाचार पत्र / राजपत्र

यह कि श्री खुशाल चन्द पुत्र श्री सुरत राम, निवासी न्यू वर्मा बिल्डिंग, फ्लैट नं0 4 देव नगर शिमला, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू–विभाजन हेतु अराजी खाता / खतौनी नं0 447 / 408, खसरा नं0 862, 871 वाका चक महाल सांगटी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादी नं0 2, 3, 9, 10, 11, 12 की तामील बार–बार समन जारी करने के बाद भी तामील न हो पा रही है। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगणों से तामील साधारण तरीके से संभव न है।

अतः अदालत हजा को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीणों की तामिल साधारण तरीके से होना संभव न है। अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उक्त प्रतिवादीगणों में से किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 22–10–2021 को अपराह्न 02.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर में आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14–09–2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री ललित कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री दिनेश पुत्र श्री कमलू राम, निवासी गांव कटार, डाकघर शोली, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता / खतौनी नं0 54 / 133, कित्ता–02, वाका चक गडासू, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री दिनेश पुत्र कमलू राम, निवासी गांव कटार, डाकघर शोली, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक शपथ–पत्र व आयकर विभाग में प्रार्थी के पिता का नाम कमलू राम सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 54/133, कित्ता–02, कुल रकबा 00–31–45 है0, वाका चक गडासू, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) की मलकियत में प्रार्थी के पिता का नाम ध्यान सिंह दर्शाया गया है जोकि गलत है। जबकी प्रार्थी के पिता का सही नाम कमलू राम है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी के पिता का नाम, आधार कार्ड, शपथ–पत्र संलग्न दरख्वास्त कर रखा है। प्रार्थी अपने पिता का नाम उक्त माल कागजात में ध्यान सिंह के स्थान पर ध्यान सिंह उर्फ कमलू राम दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में ध्यान सिंह के स्थान पर ध्यान सिंह उर्फ कमलू राम दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 01–10–2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 01–09–2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित/–

मोहर। (ललित कुमार),

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री ललित कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री गोकल राम पुत्र श्री गयारु, गांव मडैला, डा0 व तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) हाल निवासी व डा0 कडीवन उप–तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0प्र0। प्रार्थी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी चकशोला, थाना व जंगल मै0 मै0 भदराल, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री गोकल राम पुत्र श्री गयारु, निवासी गांव मडैला, डा0 व तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) हाल निवासी व डा0 कडीवन उप–तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0प्र0 ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक शपथ–पत्र व आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम गोकल राम सही व दुरुस्त है परन्तु माल कागजात वाका चक शोला, थाना व जंगल मै0. मै0 भदराल, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) की मलकियत में प्रार्थी का नाम गोकलू व गोकल चन्द दर्शाया गया है जोकि गलत है। जबकी प्रार्थी का सही नाम गोकलू व गोकल चन्द है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी का नाम, आधार कार्ड, शपथ–पत्र संलग्न दरख्वास्त कर रखा है। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में गोकलू व गोकल चन्द के स्थान पर गोकलू व गोकल चन्द उर्फ गोकल राम दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में गोकलू व गोकल चन्द के स्थान पर गोकलू व गोकल चन्द उर्फ गोकल राम दुरुस्त दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06–10–2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या

वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 06—09—2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित / —
मोहर। (ललित कुमार),
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री ललित कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव डाकघर खमाडी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.——प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत खमाडी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकरण करवाने बारे।

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव डाकघर खमाडी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री का नाम ग्राम पंचायत में नयनशी दर्ज है जोकि गलत है इसलिए मैं नयनशी के स्थान पर नव्यनशी दुरुस्त करवाना चाहता हूं और जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि में दर्ज करने का आवेदन किया है। प्रार्थी की बेटी की जन्म तिथि 06—07—2016 अज्ञानता के कारण निश्चित अवधि में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करा सका। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत खमाडी के नाम व जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकरण करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपना ब्यान हल्फिया (स्वयं सत्यापित) व सचिव द्वारा अप्राप्यता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री का नाम व जन्म पंजीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम व जन्म के पंजीकरण की सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो दिनांक 10—10—2021 को सुबह 10.00 बजे असालतन / वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें अन्यथा उजर / एतराज पेश न होने की सूरत में ग्राम पंचायत खमाड़ी को नाम व जन्म पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10—09—2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

हस्ताक्षरित / —
मोहर। (ललित कुमार),
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री ललित कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव डाकघर खमाडी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)। प्रार्थी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.——प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत खमाडी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकरण करवाने बारे।

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव डाकघर खमाडी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने प्रार्थना–पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री का नाम व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि दर्ज करने का आवेदन किया है। प्रार्थी की बेटी का नाम प्रियाशी व जन्म तिथि 26–10–2018 अज्ञानता के कारण निश्चित अवधि में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करा सका। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत खमाडी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकरण करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपना ब्यान हल्फिया (स्वयं सत्यापित) व सचिव द्वारा अप्राप्यता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि उसके पुत्री का नाम व जन्म पंजीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम व जन्म के पंजीकरण की सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो दिनांक 10–10–2021 को सुबह 10.00 बजे असालतन / वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें अन्यथा उजर / एतराज पेश न होने की सूरत में ग्राम पंचायत खमाड़ी को नाम व जन्म पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 10–09–2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
(ललीत कुमार),
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

——————

ब अदालत श्री प्रदीप मैहता, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मीरा चौहान पत्नी श्री राजिन्दर चौहान, निवासी करछारी, डा0 शरौंथा, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 प्रार्थिन।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.——दरख्वास्त बराये दर्ज करने इन्तकाल मकफूल–उल–खबरी बाबत भूमि खाता नं0 55 व 56 चक कटसारी, तहसील रोहड़ू।

इस अदालत में श्रीमती मीरा चौहान पत्नी श्री राजिन्दर सिंह चौहान, निवासी करछारी, डा0 शरौंथा, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना–पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनके पति श्री राजिन्दर सिंह पुत्र श्री केदार सिंह पिछले लगभग 10 वर्षों से लापता है जिस कारण प्रार्थिन को विभिन्न योजनाओं / सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है इसलिए भूमि का हस्तांतरण / इन्तकाल सभी जायज वारसानों के नाम किया जाना वाजिब है।

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन कर सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को राजिन्दर सिंह पुत्र श्री केदार सिंह का इन्तकाल मकफूल–उल–खबरी बाबत भूमि खाता नं0 55 व 56 चक कटसारी दर्ज करने बारे किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वह दिनांक 05–10–2021 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर / एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थिन के पति श्री राजिन्दर सिंह पुत्र श्री केदार सिंह का इन्तकाल मकफूल–उल–खबरी बाबत भूमि खाता नं0 55 व 56 चक कटसारी में दर्ज करने बारे किसी भी ब्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है तथा नियमानुसार मकफूद–उल–खबरी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 04–09–2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़ू,
जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत समाहर्ता एवम् उप–मण्डल दण्डाधिकारी रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

<table>
<tr><th>Sl No.</th><th colspan="2">Title</th><th>Case No.</th></tr>
<tr><td>1.</td><td rowspan="3">Nagar Prishad Rohru, Through its Executive Officer Rohru Municipal Council Rohru, District</td><td>Respondent No. 1. Sh. Kurpu s/o Sh. Soju Ram, c/o Shop No. 55 MC Shopping Complex Rohru, Tehsil Rohru, Distt. Shimla, H.P.
Respondent No. 2 Sh. Jia Lal s/o Tana Ram, c/o sShop No. 55 MC Shopping Complex Rohru, Distt. Shimla, H.P.</td><td>24/21 under Public Premises (Eviction & Rent Recovery Act), 1971.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Respondent No. 1 Sh. Rulda Ram s/o Sh. Sanwal Ram c/o Shop No. 90 MC Shopping Complex Rohru, Tehsil Rohru, Distt. Shimla, H.P.</td><td>27/21 under Public Premises (Eviction & Rent Recovery Act), 1971.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Respondent No. 1 Sh. Kashmiri Lal s/o Sh. Govind Singh, c/o Shop No. 89 MC Shoping Complex Rohru, Tehsil Rohru, Distt. Shimla, H.P.</td><td>35/21 under Public Premises (Eviction & Rent Recovery Act), 1971.</td></tr>
</table>

4.	Shimla H.P.	**Respondent No. 1** Sardara Singh s/o Sh. Jiwa Ram, r/o Shop No. 88 MC Complex Rohru, Distt. Shimla, H.P.	40/21 under Public Premises (Eviction & Rent Recovery Act), 1971.
5.		**Respondent No. 1** Sh. Gulzar Sha c/o Shop No. 105 MC Shopping Complex Rohru, Tehsil Rohru, Distt. Shimla, H.P.	45/21 under Public Premises (Eviction & Rent Recovery Act), 1971.
6.		**Respondent No. 1** Sh. Biju s/o Parma Nand, r/o Village Astaini, P.O Samoli, Tehsil Rohru, Distt. Shimla, H.P. c/o No. 16 MC Shopping Complex Rohru, Tehsil Rohru, Distt. Shimla, H.P. Prop. Vegetable Shop Rohru.	41/21 under Public Premises (Eviction & Rent Recovery Act), 1971.

हरगाह आपको इस प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मुकद्दमाजात मिति 4—10—2021 अदालत सुशिक्षित समाहर्ता उप—मण्डल रोहडू में तामील एवं सुनवाई हेतु रखी गई है। अतः उपरोक्त सभी प्रतिवादीगण असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो हाजिर अदालत आकर मुकद्दमा उपरोक्त में पैरवी करें दीगर सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 06—09—2021 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
समाहर्ता एवं उप—मण्डल दण्डाधिकारी, रोहडू,
जिला शिमला (हि0 प्र0)।

————————

In the Court of Sh. Babu Ram Sharma (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh

Sh. Kishan Chand *alias* Kishan Kumar s/o Sh. Man Bahadur, r/o Basement Floor, Block No. 4 Forest Colony Chakkar Shimla, Tehsil and District Shimla (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public .. *Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Kishan Chand *alias* Kishan Kumar s/o Sh. Man Bahadur, r/o Basement Floor, Block No. 4 Forest Colony Chakkar Shimla, Tehsil and District Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of himself Sh. Kishan Chand *alias* Kishan Kumar (DOB-12-09-1990) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 14th September, 2021.

Seal.

BABU RAM SHARMA (HPAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

ब अदालत श्री रमेश चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 03 / 2021 तारीख संस्थापन : 06—05—2021 तारीख फैसला :

श्रीमती बबीता पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री श्यामा नन्द, निवासी गांव जल, डाकघर हल्नीधार, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 .. वादी।

बनाम

आम जनता . प्रतिवादी।

बाबत इन्तकाल मखफूल—उल—खबरी श्रीमती बबीता पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री श्यामा नन्द, निवासी गांव जल, डाकघर हल्नीधार, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0।

प्रार्थना—पत्र मखफूल—उल—खबरी इन्तकाल जायज वारसान श्रीमती बबीता पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री श्यामा नन्द, निवासी गांव जल, डाकघर हल्नीधार, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 का इस न्यायालय में विचाराधीन है। वादी श्रीमती बबीता पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार ने निवेदन किया है कि उसके पति श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री श्यामा नन्द, निवासी गांव जल, डाकघर हल्नीधार, तहसील कुमारसैन अरसा 22 साल पूर्व घर से लापता हो गए हैं और आज तक उनका कोई भी पता नहीं लग पाया है। वादी ने निवेदन किया है कि उसके पति को मृत घोषित किया जाकर महाल हजा में समस्त भूमि का इन्तकाल मखफूल—उल—खबरी उसके नाम दर्ज व तस्दीक किया जावे।

अतः आम जनता को मुश्त्री मुनादी एवं चस्पांनगी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री श्यामा नन्द, निवासी गांव जल, डाकघर हल्नीधार, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 की समस्त भूमि का इन्तकाल मखफूल—उल—खबरी उसके जायज वारसान के हक में तस्दीक करने बारे यदि कोई उजर / एतराज हो तो वह मिति 05—10—2021 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन / वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री श्यामा नन्द, निवासी गांव जल, डाकघर हल्नीधार, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 की समस्त भूमि का इन्तकाल मखफूद—उल—खबरी उसके जायज वारसान के हक में तस्दीक किया जावेगा।

यह आदेश आज दिनांक 04—09—2021 को हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
(रमेश चन्द),
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नाम परिवर्तन

मैं, नरेंद्र कुमार सुपुत्र स्व0 श्री गंगा राम ठाकुर, निवासी गांव नेरी, डाकघर सुल्तानपुर, तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश–173229, घोषणा करता हूं कि मैंने अपना नाम नरेंद्र कुमार से बदलकर नरेंद्र कुमार ठाकुर रख लिया है। नोट करें।

नरेंद्र कुमार
सुपुत्र स्व0 श्री गंगा राम ठाकुर,
निवासी गांव नेरी, डाकघर सुल्तानपुर,
तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

———————

CHANGE OF NAME

I, Ranjeet Kaur w/o Late Sh. Jasveer Singh, resident of W. No. 13, Shiva Colony, Taruwala, Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from Ranjeet Kaur to Manjeet Kaur. All concerned please note.

RANJEET KAUR ,
w/o Late Sh. Jasveer Singh,
r/o W.No. 13, Shiva Colony, Taruwala,
Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.)

———————

CHANGE OF NAME

I, Keshav s/o Bhim Sen, House No. 11, Jogiwara Road, Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) declared that I have changed my name Keshav to Keshav Thakur. All concerned note it.

KESHAV
s/o Bhim Sen,
House No. 11, Jogiwara Road, Mcleodganj,
Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.)

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है